तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम ज हुक्म की में जारी
14-3-15	वकील वादी उप० है। प्रतिवादी-सीया उपस्थित है। बहस सुनी गई। वकील वादीगण का एवं प्रतिवादी सीया का कथन है कि सुखलाल की भूमि में वादीगण का 1/7 हिस्सा बनता है जो दिया जावे। बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
146/2013	05.09.2013	14.03.2015

1. किशोरी पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. स्वरूप पुत्र ऊंकार,माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
3. श्रीचन्द पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. बृजलाल पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. मुरारी पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. मांग्या पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. परमा पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. श्रेया पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. मीठालाल पुत्र सुखलाल,माली नि0गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
5. जगन पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
6. कन्हैया पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
7. रमेश पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
8. बदरी पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
9. मुकेश पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
10. किशनबाई बेवा मंगल,माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
11. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण के पिता सुखलाल पुत्र सोन्या जाति माली निवासी जाटबडौदा की खातेदारी भूमि एकीकरण ख0नं0 185 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा, 205 रकबा 5 बीघा 17 विस्वा, 206 रकबा 6 विस्वा, 335 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा, 334 रकबा 11 विस्वा ग्राम जाटबडौदा में स्थित है जिसके वर्तमान में नये नम्बर इस प्रकार हैं। एकीकरण ख0नं0 334 के नये नम्बर 660 रकबा 25 एयर, एकीकरण ख0नं0 335 के नये नम्बर 668 रकबा 22 एयर, 669 रकबा 25 एयर, एकीकरण ख0नं0 185 के नये नम्बर 795 रकबा 14 एयर, 796 रकबा 5 एयर, 797 रकबा 6 एयर, 798 रकबा 5 एयर, 799 रकबा 5 एयर, 800 रकबा 8 एयर, 803 रकबा 28 एयर, 807 रकबा 9 एयर, 809 रकबा 8 एयर, 811 रकबा 30 एयर, एकीकरण ख0नं0 205 के नये नम्बर 826 रकबा 25 एयर, 827 रकबा 23 एयर, 828 रकबा 24 एयर, 828/984 रकबा 1 एयर, एकीकरण ख0नं0 205 के नये नम्बर 831 रकबा 27 एयर, 832 रकबा 8 एयर, 834 रकबा 8 एयर, 835 रकबा 9 एयर, 836 रकबा 8 एयर, 837 रकबा 9 एयर, 838 रकबा 9 एयर, एकीकरण ख0नं0 206 के नये नम्बर 839 रकबा 10 एयर, एकीकरण ख0नं0 185 के नये नम्बर 807/955 रकबा 3 एयर कायम किए हैं। सुखलाल पुत्र सोन्या के मरने के बाद सेटिलमेंट विभाग वालों से मिलकर उक्त भूमि को जरिए खसरा परिशोधन फूलबाई बेवा सुखलाल, मंगल, मांग्या, परमा, श्रेया, मीठ्या, जगन पिसरान सुखलाल तथा किशोरी, स्वरूप, श्रीचंद, बृजलाल, पांच्या पिसरान ऊंकार के नाम दर्ज कर दिया लेकिन खसरा परिशोधन तस्दीक करने के उपरान्त सेटिलमेंट खतौनी में ऊंकार के वारिसान का नाम दर्ज नहीं किया तथा

का कोई पुत्र नहीं था। सेटिलमेंट में भूमि ख0नं0 660, 668, 669, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 803, 807, 809, 811, 826, 827, 828, 831, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 828/984 तथा 807/955 कायम किए हैं जिसे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय समस्त भूमि प्रतिवादीगण एवं गुलबाई बेवा सुखलाल के नाम दर्ज कर दी जिसका सेटिलमेंट वालों को कोई अधिकार नहीं था। गुलबाई के मरने के बाद विरासत का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादीगण के साथ वादीगण के नाम भी सही रूप से दर्ज कर दिया लेकिन सुखलाल की विरासत वादीगण के नाम दर्ज नहीं की गई । यह गलत इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों की गलती से हुआ । मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। ये गलत इन्द्राज बने रहने से वादीगण के हितों पर विपरीत असर पडने की पूरी पूरी संभावना है तथ यह भी प्रबल संभावना है कि प्रतिवादीगण गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण का जो हिस्सा उनके नाम सेटिलमेंट विभाग वालों ने गलत रूप से दर्ज कर दिया उसे दीगर जगह रहन वय कर सकते है इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण को इस गलत इन्द्राज की जानकारी वादीगण द्वारा रेवेन्यु रिकार्ड की नकल दिनांक 8.8.2013 को निकलवाने से हुई है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम जाटबडौदा में स्थिति भूमि ख0नं0 660 रकबा 25 एयर, 668 रकबा 22 एयर, 669 रकबा 25 एयर, 795 रकबा 14 एयर, 796 रकबा 6 एयर, 797 रकबा 6 एयर, 798 रकबा 5 एयर, 799 रकबा 5 एयर, 800 रकबा 8 एयर, 803 रकबा 28 एयर, 807 रकबा 9 एयर, 809 रकबा 8 एयर, 811 रकबा 30 एयर, 826 रकबा 25 एयर, 827 रकबा 23 एयर, 828 रकबा 24 एयर, 828/984 रकबा 1 एयर, 831 रकबा 27 एयर, 832 रकबा 8 एयर, 834 रकबा 8 एयर, 835 रकबा 9 एयर, 836 रकबा 8 एयर, 837 रकबा 9 एयर, 838 रकबा 9 एयर, 839 रकबा 10 एयर, 807/955 रकबा 3 एयर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा बराबर 1/7, 1/7 दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे विवादित भूमि में वादीगण के हिस्सा 1/7 को दीगर जगह रहन वय नहीं करे तथा वादीगण को हिस्सा 1/7 से बेदखल नहीं करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये नोटिस की गई। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032 प्रदर्श–1, नकल पर्चा खतौनी प्रदर्श–2, नकल खसरा परिशोधन–पत्र प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 प्रदर्श–4, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–5, प्रदर्श–6 पेश किए हैं एवं बयान वादी मुरारी पी0डब्लू0 1 कराए हैं। इसके अलावा वादीगण ने फोटोकोपी परिचय पत्र श्रीया, फोटोकोपी परिवार राशन कार्ड पेश किए हैं।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई। वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए दावा वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2029 से 2032 प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 185, 205, 206, 335, 334 ग्राम जाटबडौदा सुकलाल पुत्र सोन्या जाति माली की खातेदारी में दर्ज है। पर्चा खतौनी भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श–2 के अनुसार इस भूमि से बने नवीन नम्बर मु0 गुलबाई बेवा सुखलाल व मंगल, मांग्या, परमा, श्रीया, मीठया, जगन्न पि0 सुखलाल के नाम दर्ज है। नकल खसरा परिशोधन (उत्तराधिकार) प्रदर्श–3 के अनुसार इसमें ऊंकार के वारिसान के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज किया गया है। नकल जमाबंदी सं0 2067 से

[illegible] प्रदर्श–4 में ऊंकार के वारिसान का नाम दर्ज है। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त भूमि सुखलाल की खातेदारी की रही है। इसके बाद यह भूमि इसके वारिसान ऊंकार, मंगल, मांग्या, परमा, श्रीया, मीठालाल, जगन के नाम आनी चाहिए। इनमें ऊंकार की मृत्यु हो चुकी है एवं वादीगण उसके वारिस हैं। मंगल की मृत्यु हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 उसके वारिस हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 ख0नं0 660 रकबा 25 एयर, [illegible] रकबा 22 एयर, 669 रकबा 25 एयर, 795 रकबा 14 एयर, 796 रकबा 6 एयर, [illegible] रकबा 6 एयर, 798 रकबा 5 एयर, 799 रकबा 5 एयर, 800 रकबा 6 एयर, 803 रकबा 28 एयर, 807 रकबा 9 एयर, 809 रकबा 8 एयर, 811 रकबा 30 एयर, 826 रकबा 25 एयर, 827 रकबा 23 एयर, 828 रकबा 24 एयर, 828/984 रकबा 1 एयर, [illegible] रकबा 27 एयर, 832 रकबा 8 एयर, 834 रकबा 8 एयर, 835 रकबा 9 एयर, 836 रकबा 8 एयर, 837 रकबा 9 एयर, 838 रकबा 9 एयर, 839 रकबा 10 एयर, 807/955 रकबा 3 एयर ग्राम जाटबडौदा में वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त नम्बरो में वादीगण का 1/7, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 10 का 1/7 हिस्सा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03..2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दने इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

उनवान

1. किशोरी पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. रामस्वरूप पुत्र ऊंकार,माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
3. श्रीचन्द पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. बृजलाल पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
5. मुरारी पुत्र ऊंकार, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. मांग्या पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
2. परमा पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
3. श्रीया पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
4. मीठालाल पुत्र सुखलाल,माली नि0गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुरसिटी
5. जगन पुत्र सुखलाल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
6. कन्हैया पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
7. रमेश पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
8. बदरी पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
9. मुकेश पुत्र मंगल, माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
10. किशनबाई बेवा मंगल,माली नि0 गंगाजी की कोठी जाटबडौदा तहसील गंगापुर सिटी
11. सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 146/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट **मिनजानिब मुद्दई –– मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व** वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 ख0नं0 660 रकबा 25 एयर, 668 रकबा 22 एयर, 669 रकबा 25 एयर, 795 रकबा 14 एयर, 796 रकबा 6 एयर, 797 रकबा 6 एयर, 798 रकबा 5 एयर, 799 रकबा 5 एयर, 800 रकबा 6 एयर, 803 रकबा 28 एयर, 807 रकबा 9 एयर, 809 रकबा 8 एयर, 811 रकबा 30 एयर, 826 रकबा 25 एयर, 827 रकबा 23 एयर, 828 रकबा 24 एयर, 828/984 रकबा 1 एयर, 831 रकबा 27 एयर, 832 रकबा 8 एयर, 834 रकबा 8 एयर, 835 रकबा 9 एयर, 836 रकबा 8 एयर, 837 रकबा 9 एयर, 838 रकबा 9 एयर; 839 रकबा 10 एयर, 807/955 रकबा 3 एयर ग्राम जाटबडौदा में वादीगण को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्त नम्बरो में वादीगण का 1/7, प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 6 लगायत 10 का 1/7 हिस्सा दर्ज किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

आज दिनांक 14.03.2015 को डिक्री जारी की गई ।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		